वित्त विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ-1-25/2011/स्था/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों के विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(ङ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस/4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–

(क) कोषागार लिपिक वर्गीय सेवा के अधीक्षकों/लेखा सहायकों से पदोन्नति द्वारा;

(ख) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगीं परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ग) कोषागार लिपिक वर्गीय सेवा से भिन्न व्यक्तियों के चयन द्वारा जिन्होंने आयुक्त/संचालक द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(घ) कोषागार लिपिक सेवा के उन व्यक्तियों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने आयुक्त/संचालक द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

उपरोक्त रीति से छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा में भर्ती क्रमशः 10, 30, 30, एवं 30 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गए प्रतिशत् से किसी भी समय अधिक नही होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श करने के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी (यथासंशोधित) निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती से चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(एक) आयु:– (क) विज्ञापन जारी होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतम आयु सीमा में छूट दी जायेगीः–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ शासन का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिये। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना मे कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्त्तर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः–शब्द "भूतपूर्व सैनिक" शब्द से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश

के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन्स) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है;

(चार) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यकम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(छ) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिको तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गयी सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी । किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये ।

टीप:–(1) उपरोक्त खण्ड (घ) (एक) तथा (दो) मे उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए योग्य माना गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नही की जायेगी. विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी ।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे ।

(दो) शैक्षणिक अहर्तायें तथा अनुभव.– अभ्यर्थी के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताये तथा अनुभव होना चाहिये जो कि अनुसूची–तीन के कॉलम (6) मे विहित की गई हों।

(तीन) फीस.– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता**.– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा**.– (एक) चयन किए जाने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार के लिये अनुज्ञात नही किया जायेगा।

(दो) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन प्रक्रिया के किसी प्रक्रम में अथवा आयोग द्वारा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है या उसके द्वारा प्रस्तुत

अभिलेखों में कोई विसंगति पाई गई है, तो अभ्यर्थी को अयोग्य माना जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

11. **(एक) चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जायेगी।

(2) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन आयोग के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

(3) प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम (सिलेबॅस), परीक्षा योजना एवं निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित की जायेगी, जैसा कि शासन समय–समय पर आयोग के परामर्श से जारी करे।

(4) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति में किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर कीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे तथा अन्य प्रावधान भी लागू होंगे।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे एवं अन्य प्रावधान भी लागू होंगे। उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हॉरीजॉन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाईज) होगा।

(7) उपरोक्त के अतिरिक्त, विकलांग/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखे जायेंगे।

(8) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(10) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों को जिन्हें उसकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (5) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े

वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(दो) चयन/कोषालयीन कर्मचारी द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भर्ती.–

(1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसें अंतरालो से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे।

(2) आयुक्त/संचालक कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा समय समय पर आयोजित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा विभागीय परीक्षा भाग–एक एवं दो उत्तीर्ण होने पर चयन किया जायेगा।

(3) चयन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा विभागीय परीक्षा से किया जायेगा।

(4) नियम 6 (1) के उप नियम (ग), एवं (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को आयुक्त/संचालक द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर सेवा में कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा उनके नाम चयन सूची से विलोपित कर दिए जायेंगे।

12. आयोग/चयन समिति द्वारा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की सूची.– (1) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नही है किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो एवं ऐसे अभ्यर्थी जो महिला/ विकलांग/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के फलरूवरूप चयनित किए जाएं, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में चयन सूची तैयार करेगा, जिसकी वैधता अवधि, नियुक्ति के लिए शासन को भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी ।

(3) आयोग, उप–नियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्ययीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) चयन सूची मे अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के

पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **परिवीक्षा.**– (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) शासन यदि उचित समझे, तो परिवीक्षा की कालावधि, एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकेगा।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि शासन की राय हो कि परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नही है, तो शासन ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवोन्मुक्त कर सकेगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होंगे:

परंतु इस उप–नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधो का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालो में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) सभी पदोन्नतियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधो के अनुसार की जायेगी।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) में उल्लिखित नियम एवं शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए निर्देशों और राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार उन पदों पर जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित अन्य किसी पद या पदों पर, (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा

जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीतिः– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति, शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार दी जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना.**– (1) समिति, ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। सूची में उतने नाम सम्मिलित किये जायेंगे जितने कि उस वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण रिक्तियॉं संभावित हों। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें प्रवर्गवार न्यूनतम एक एवं रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मापदंड ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम से रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नही किया गया हो केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नही होगा।

17. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, इसके तैयार किये जाने की तारीख से उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नही होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

19. **परिवीक्षा/परीक्षण.**– सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित रहे और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करे, जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाये–

(1) कोई व्यक्ति जो पहले से ही शासकीय सेवा में स्थायी हो, नियम 6 के उप–नियम (1) के अधीन सीधी भर्ती, पदोन्नति या चयन द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा में नियुक्त किया जाता है तो सेवा में या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिये, स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करे और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करे जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये:

परन्तु यह और कि संचालक यह घोषित कर सकेगा कि छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा में, पूर्व की स्थानापन्नता की कालावधि उस सीमा तक जो कि किसी विशिष्ट मामले में विनिर्दिष्ट की जाये, परीक्षण की कालावधि में गिनी जा सकेगी:

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती से भी की जाती है, तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उस पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के लिये विहित है।

(2) संचालक, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा।

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है, विहित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहता है अथवा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है और अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय सेवक को उस सेवा या पद के लिये, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाये तो स्थायी पद उपलब्ध होने पर उसे सेवा में, जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, स्थायी कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र उसके पक्ष में जारी किया जाएगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही, स्थायी पद उपलब्ध होता है उसे स्थायी कर दिया जायेगा ।

(5) ऐसा स्थानापन्न शासकीय सेवक, जिसे उप–नियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण–पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उप–नियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उप–नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन्न हैसियत में सेवा में बना रहा समझा जाएगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

परीक्षण.– सेवा में पदोन्नति से पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा।

20. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे उचित और समीचीन प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नही निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अजय सिंह, प्रमुख सचिव

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा का नाम/पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा	280	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 4300
1.	सहायक कोषालय अधिकारी			
2.	उप कोषालय अधिकारी			
3.	सहायक लेखाधिकारी			
4.	कनिष्ठ लेखाधिकारी			
5.	व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण शाला			
6.	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी			

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क.	सेवा का नाम	भर्ती का तरीका	भरे जाने वाले पदो का प्रतिशत	नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा/पदनाम 1. सहायक कोषालय अधिकारी 2. उप कोषालय अधिकारी 3. सहायक लेखा अधिकारी 4. कनष्ठि लेखा अधिकारी 5. व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण शाला 6. सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	1. कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा के अधीक्षकों/लेखा सहायकों में से पदोन्नति द्वारा 2. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 3. कोषालय लिपिक वर्गीय सेवा से भिन्न व्यक्तियों के चयन द्वारा जिन्होंने आयुक्त/संचालक कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग–एक एवं दो उत्तीर्ण की हो । 4. कोषालय लिपिक सेवा के उन व्यक्तियों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने आयुक्त/संचालक द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग–एक एवं भाग–दो उत्तीर्ण की हो ।	10 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत	आयुक्त/संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा	1. सहायक कोषालय अधिकारी 2. उप कोषालय अधिकारी 3. सहायक लेखा अधिकारी 4. कनिष्ठ लेखा अधिकारी 5. व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण शाला 6. सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि।

टीप:—छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशो के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार

(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	सेवा की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	अधीक्षक / लेखा सहायक	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के पदों में	अधीक्षकों / लेखा सहायकों के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	1. आयुक्त / संचालक / अपर संचालक **–अध्यक्ष** 2. आयुक्त / संचालक द्वारा नाम निर्देशित दो संयुक्त संचालक **–सदस्य** 3. यदि समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आयुक्त / संचालक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से किसी वरिष्ठ अधिकारी को नाम निर्देशित करेगा **–सदस्य**